


उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विराटनगर (जयपुर) की को रू आज्ञा विस्तृत रूप से प्रार्थना पत्र	विशेष विवरण
	<p>21-11</p> <p>पुस-मर 2/11/24</p>  <p>कि कीलक</p>	<p>पत्रावली आज्ञा मूल रूप से प्रार्थना पत्र थी वह सुनपायी क-मिशन नहीं देव करने पर रिपोर्ट है तदनुसारी जयपुर प्रार्थना पत्र का कथन रद्द है प्रार्थना आगे नहीं चलाना चाहते हैं। पत्रावली का अपरोक्ष रूप से मूल रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र प्रत्याखीन होने से स्वार्थी किन्ना जात है पत्रावली फॉर्मल शुद्ध होकर दायित्व दफ्तार है। इस किन्ना दायित्व</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) </p>	<p>1.</p> <p>2.</p>